छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 27, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 63 तारांकित एवं 89 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्राप्त प्रश्नों की सूचनाएं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय 7 एवं अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अंतर्गत प्रश्नों की ग्राह्यता संबंधी नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत ग्राह्य किये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने अपने तारांकित प्रश्न क्रमांक 4 (क्र. 931) के संबंध में अनुरोध किया था कि उनका प्रश्न पूरे प्रदेश के सभी जिलों की जानकारी हेतु था। परंतु उन्हें तखतपुर विधान सभा क्षेत्र की जानकारी संशोधित होकर प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह सहित सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि प्राप्त प्रश्नों की सूचनाएं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्यांय 7 एवं अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अंतर्गत प्रश्नों की ग्राह्यता संबंधी नियमों व शर्तों के अंतर्गत ग्राह्य किये जाते हैं। मेरे द्वारा माननीय सदस्यों के अधिकाधिक प्रश्न ग्राह्य हो सकें, इस हेतु वृहत जानकारी संबंधी प्रश्नों को यथावश्यक संशोधित कर ग्राह्य किया जाता है, ताकि

माननीय सदस्य को कम से कम उनके विधान सभा क्षेत्र और जिले की जानकारी प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह जी के उक्त प्रश्न के संदर्भ में विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वांछित जानकारी करीब-करीब 90 हजार से 1 लाख पृष्ठ से अधिक थी। अत: इस प्रश्न को नियम अंतर्गत संशोधित कर माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र तखतपुर तक सीमित करते हुए ग्राह्य किया गया था।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल),

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(3) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(4) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) तथा

(5) श्री रामविचार नेताम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024),

पटल पर रखे।

4. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में स्थित गारे पेलमा कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन हेतु वृक्षों की कटाई से उत्पन्न स्थिति विषय पर दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

इस संबंध में माननीय सदस्य श्री उमेश पटेल, श्रीमती विद्यावती सिदार,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

श्री लालजीत सिंह राठिया,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मण्डावी, रामकुमार यादव, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री देवेन्द्र यादव, भूपेश बघेल, ने भी विचार व्यक्त किये।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

"गारे पेलमा कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन हेतु वृक्षों की कटाई के संबंध में "

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जी एवं प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा "गारे पेलमा कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन हेतु वृक्षों की कटाई" कटाई से उत्पन्न स्थिति के विषय में दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे आज प्रातः ही प्राप्त हुई है, जिसका मैंने अवलोकन किया।

प्राप्त सूचना में गारे पेलमा कोल ब्लॉक क्षेत्रान्तर्गत जिला रायगढ़ के तमनार तहसील में वृक्षों की कटाई, जनसुनवाई तथा ग्राम सभा के फर्जी दस्तावेज तैयार करके स्वीकृतियां प्राप्त की जानें, वन अधिकार अधिनियम एवं एन.जी.टी. के आदेशों का उल्लंघन कर वृक्षों की कटाई व कोयला उत्खनन, छ.ग. विधान सभा में दिनांक 26 जुलाई, 2022 को हसदेव क्षेत्र में सभी आवंटित कोल ब्लॉक रद्द किए जाने हेतु पारित अशासकीय संकल्प, दिसम्बर, 2023 में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा हसदेव क्षेत्र में सरगुजा वन मंडल अंतर्गत ग्राम परसा और केते, तहसील-उदयपुर के संरक्षित वनभूमि में खड़े 15307 नग वृक्षों के विदोहन की प्रदत्त स्वीकृति, पूरे प्रदेश में वन एवं राजस्व भूमि में वृक्षों की कटाई, आई.सी.एफ.आर.आई. एवं डब्ल्यू. आर. आई. की जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं का पालन न किए जाने आदि एकाधिक विषय समाहित किए गए हैं।

प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना के संबंध में शासन से प्राप्त जानकारी अनुसार स्थगन की सूचना में अन्तर्निहित विषयों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रकरण विचाराधीन हैं, अतः मैंने प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना को छ.ग. विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 55 (2) जिसके अनुसार -

"एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी।" नियम 55 (3) जिसके अनुसार "प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय पर सीमित रहेगा" एवं नियम 55 (7) जिसके अनुसार "प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा, जो प्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो, के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुपालन में अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

6. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भूपेश बघेल सदस्य ने पुन:श्च इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.37 बजे स्थगित की जाकर 12.47 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

7. बहिष्कार

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए आज की कार्यवाही का दिनभर के लिए बहिष्कार किया गया।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार- आज की कार्यसूची में 109 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक -22 (6) के तहत् शामिल किया गया है । विधानसभा नियमावली 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली-पोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क क्रमांक 130 ए अत्यंत जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज अध्यक्षीय दीर्घा में भारत शासन के केन्द्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री माननीय श्री रामदास अठावले जी उपस्थित हैं मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य (अनुपस्थित-सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

(3) श्री राजेश मूणत, सदस्य ने साईंस कॉलेज रायपुर में आयोजित बोरे बासी कार्यक्रम में अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. सभा की समिति द्वारा जांच की घोषणा

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक (3) साईंस कॉलेज रायपुर में आयोजित बोरे बासी कार्यक्रम में अनियमितता पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा प्रकरण की जांच सभा की समिति द्वारा किए जाने की मांग पर श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने उक्त प्रकरण की जांच सभा के माननीय सदस्यों की समिति से कराये जाने की घोषणा की गई।

12. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(4) श्री संदीप साहू, सदस्य (अनुपस्थित-सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

13. नियम-167(1) के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्य, श्री रामकुमार यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीतमी चातुरी नंद, श्री इन्द्र साव, श्री संदीप साहू, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद श्री ओंकार साहू, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, श्री भोलाराम साहू, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री दलेश्वर साहू एवं श्री बालेश्वर साहू (कुल21) द्वारा श्री सुनील नामदेव के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना तथा विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 02/2025 दिनांक 06.01.2025 को विचारोपरांत मैंने अग्राह्य कर दिया है।

14. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उपपद (5) से (109) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

उप पद क्रमांक	सदस्य
5.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, संदीप साहू
6.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
7.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
8.	श्री अजय चन्द्राकर
9.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन
10.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन
11.	डॉ. चरणदास महंत, श्री विक्रम मण्डावी, श्री जनक ध्रुव
12.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी
13.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
14.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
15.	श्रीमती अंबिका मरकाम
16.	श्रीमती अंबिका मरकाम
17.	श्रीमती अंबिका मरकाम

18. श्रीमती अंबिका मरकाम
19. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
20. डॉ. चरणदास महंत, श्री रिकेश सेन
21. डॉ. चरणदास महंत, श्री रिकेश सेन
22. श्री विक्रम मण्डावी
23. सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, कुंवर सिंह निषाद, जनक ध्रुव
24. श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश
25. श्री बालेश्वर साहू
26. श्री उमेश पटेल
27. श्री संदीप साहू
28. श्री संदीप साहू
29. श्री इन्द्र साव
30. श्री इन्द्र साव
31. श्री बघेल लखेश्वर
32. श्री देवेन्द्र यादव
33. श्री दलेश्वर साहू, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
34. श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती अनिला भेंडिया
35. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री भूपेश बघेल
36. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
37. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
38. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
39. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
40. श्री भोलाराम साहू
41. श्री भोलाराम साहू
42. श्री सुशांत शुक्ला
43. श्री सुशांत शुक्ला
44. श्री बालेश्वर साहू
45. श्री दिलीप लहरिया
46. श्री दिलीप लहरिया

47. श्री दिलीप लहरिया
48. श्री दिलीप लहरिया
49. श्री दिलीप लहरिया
50. श्री भूपेश बघेल
51. श्री इन्द्र साव
52. श्रीमती चातुरी नंद
53. श्रीमती चातुरी नंद
54. सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, भोलाराम साहू
55. श्री चैतराम अटामी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
56. श्री चैतराम अटामी
57. श्री चैतराम अटामी
58. श्री चैतराम अटामी
59. श्री इन्द्र साव
60. श्री धर्मजीत सिंह
61. श्री धरमलाल कौशिक
62. श्री धरमलाल कौशिक
63. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
64. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
65. श्री सुशांत शुक्ला
66. श्री द्वारिकाधीश यादव
67. श्रीमती चातुरी नंद
68. श्रीमती चातुरी नंद
69. श्री फूलसिंह राठिया
70. श्री लालजीत सिंह राठिया
71. श्री जनक ध्रुव
72. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
73. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह
74. श्री अजय चन्द्राकर
75. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

76. श्रीमती अंबिका मरकाम
77. श्रीमती अंबिका मरकाम
78. श्री रामकुमार यादव
79. श्रीमती शेषराज हरवंश
80. श्री विक्रम मण्डावी
81. श्री बालेश्वर साहू
82. श्री उमेश पटेल
83. श्री राजेश अग्रवाल
84. श्री बघेल लखेश्वर
85. श्री देवेन्द्र यादव
86. श्री देवेन्द्र यादव
87. श्री कुंवर सिंह निषाद
88. श्री कुंवर सिंह निषाद
89. श्री दलेश्वर साहू
90. सर्वश्री देवेन्द्र यादव, इन्द्र साव
91. श्रीमती भावना बोहरा
92. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
93. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम
94. श्री सुशांत शुक्ला
95. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
96. श्री अटल श्रीवास्तव
97. श्रीमती संगीता सिन्हा
98. सुश्री लता उसेण्डी
99. सुश्री लता उसेण्डी
100. श्री द्वारिकाधीश यादव
101. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
102. श्री ओंकार साहू
103. श्री ओंकार साहू
104. श्री अटल श्रीवास्तव

105. श्री भूपेश बघेल

106. सर्वश्री इन्द्रशाह मण्डावी, जनक ध्रुव

107. श्री भूपेश बघेल

108. श्री धरमलाल कौशिक

109. श्रीमती संगीता सिन्हा

15.नियम 267"क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- नियम 267 "क"(2) को शिथिल कर आज दिनांक 18 जुलाई, को मैंने सदन में 22 सूचनायें लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे।

1. श्री लालजीत सिंह राठिया
2. श्रीमती शकुंतला पोर्ते (2 सूचनाएं)
3. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (2 सूचनाएं)
4. श्री कुंवर सिंह निषाद
5. श्री चैतराम अटामी
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्री रिकेश सेन
8. श्री बघेल लखेश्वर (3 सूचनाएं)
9. श्रीमती चातुरी नंद
10. श्री द्वारिकाधीश यादव
11. श्री देवेन्द्र यादव
12. श्री संदीप साहू
13. श्री गजेन्द्र यादव (2 सूचनाएं)
14. श्रीमती अनिला भेंड़िया
15. श्री जनक ध्रुव
16. श्री ब्यास कश्यप
17. श्री ईश्वर साहू

16.शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए निम्नांकित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान करते हुये चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

		निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025, (क्रमांक 17 सन् 2025)	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, (क्रमांक 21 सन् 2025)	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025, (क्रमांक 23 सन् 2025)	1 घंटा
(4)	छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025, (क्रमांक 24 सन् 2025)	1 घंटा
(5)	छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक 2025, (क्रमांक 25 सन् 2025)	30 मिनट
(6)	छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025, (क्रमांक 26 सन् 2025)	1 घंटा
(7)	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025, (क्रमांक 27 सन् 2025)	30 मिनट

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहने पर माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने आसंदी का ध्यानाकार्षित किया कि आज की कार्यसूची में बहुत सारे नये मूल विधेयक हैं, विधानसभा में बहुत कम अवसर आते हैं, जब मूल विधेयकों में चर्चा होती है। अधिकांशत: हम संशोधन विधयकों में ही चर्चा करते हैं। मूल विधेयक उसी दिन बंटते हैं, यह विधेयक कल शाम को बंटा जब विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। मूल विधेयक आज ही पुर:स्थापित होगा और आज ही चर्चा होगी, हम इसको पढ़ ही नहीं पाये हैं तो सुझाव कैसे देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके रहते इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए, कम से कम इसमें एक प्रेसीडेन्सी बन जाए कि जो मूल विधेयक हैं, वह पहले दिन प्रस्तुत हों और वितरित हों । कम से कम मूल विधेयक में चर्चा के नियम बने। इसमें आप कोई व्यवस्था देंगे तो अच्छी बात है।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने इस पर स्थिति स्पष्ट की तथा कथन किया कि माननीय सदस्य ने जो कहा कि पर्याप्त समय मिलना चाहिए, निश्चित रूप से भविष्य में हम पूरा प्रयास करेंगे कि समय पर मिल जाए।

माननीय अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि मैं माननीय सदस्य के कथन से सहमत हूं। यह परम्परा नहीं बननी चाहिए, भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) के पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025 (क्रमांक 24 सन् 2025) पुर:स्थापित किया।

(5) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) पुर:स्थापित किया।

(6) छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक-26, सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, आवस एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 (क्रमांक-26, सन् 2025) पुर:स्थापित किया।

(7) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) पुर:स्थापित किया।

(8) छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025)_पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, मोतीलाल साहू,

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्री रोहित साहू,

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 17 सन् 2025) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(9) छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025)पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक,

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 19 सन् 2025)) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(10) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(11) छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

गरू खुशवंत साहेब, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 13 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(12) छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025, (क्रमांक 24 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025, (क्रमांक 24 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक, 2025,(क्रमांक 24 सन् 2025) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(13) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025,(क्रमांक 25 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 25 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, सुशांत शुक्ला, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025,(क्रमांक 25 सन् 2025) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(14) छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025,(क्रमांक 26 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025,(क्रमांक 26 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, सुश्री लता उसेण्डी, सर्वश्री सुनील सोनी, नीलकंठ टेकाम,

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 55 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025,(क्रमांक 26 सन् 2025) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(15) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025, (क्रमांक 27 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025, (क्रमांक 27 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री मोतीलाल साहू, गुरू खुशवंत साहेब,

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025, (क्रमांक 27 सन् 2025) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

17. अशासकीय संकल्प

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य (अनुपस्थित- संकल्प प्रस्तुत नही हुआ।)

2. सदन का यह मत है कि "प्रसंस्कृत अनाज (पक्का माल) के विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाय।"

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

(सभापति महोदय(श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री अनुज शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री प्रबोध मिंज,

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया एवं आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

संकल्प वापस हुआ।

18.सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के षष्ठम विधान सभा के षष्ठम सत्र का आज अंतिम दिवस है और यदि सब कुछ कार्ययोजना के हिसाब से हुआ तो आज के यह सत्र का समापन इस विधान सभा का अंतिम दिन होगा, अंतिम समय होगा, इसलिये इसके बाद अब हम नई विधान सभा में बैठेंगे, यह उम्मीद हम करते हैं, मगर इस विधान सभा में आप सब ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ व्यक्त किया है और अपनी क्षमता के अनुरूप इस विधान सभा को गौरवान्वित भी किया है, इसलिये इस सत्र में जो आज अंतिम दिवस है, 14 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य यह बैठक आहूत रहा। कुल 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठकें संपन्न हुई । सर्वप्रथम सफलतापूर्वक सत्र संपन्न होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में अपना अधिकतम सहयोग मुझे प्रदान किया ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है, मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की वर्तमान षष्ठम विधान सभा संसदीय मूल्यों को निरन्तर मजबूत देने का प्रयास कर रही है और इस कार्य में आप सभी की भागीदारी प्रशंसनीय है ।

मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का संसदीय आचरण और व्यवहार ही लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में गरिमा को संवर्धित करने का सशक्त माध्यम सिद्ध होगा। लोक कल्याण के प्रति एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, उसकी पूर्ति करने के लिये आप कृत संकल्पित हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में पूरी निष्ठा के साथ आप काम कर रहे हैं । हमारे लिये यह उपलब्धि है कि इस मानसून सत्र में राज्य के विकास से जुड़े

प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने व्यापक, विस्तृत, परिणाममूलक चर्चा की । इसका प्रभाव भविष्य में छत्तीसगढ़ के विकास में अवश्य परिलक्षित होगा । आपने इस सत्र में राज्य के विकास में जुड़े हुये प्रत्येक विषय पर आपने विचार किया और निष्कर्ष तक पहुंचे ।

आज इस मानसून सत्र के समापन अवसर पर आप समस्त सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सदन की गरिमा को बनाए रखने में आप सदैव गम्भीर रहें, क्योंकि सदन के सम्मान से ही आपका सम्मान जुड़ा हुआ है । आपकी भूमिकाएं और प्रतिबद्धतायें भले ही भिन्न-भिन्न हों पर उद्येश्य एक ही होना चाहिये कि लोकतन्त्र को आपके कार्य, विचार और व्यवहार से मजबूती मिले ।

आज इस मानसून सत्र में दिनांक 16 जुलाई, 2025 को माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट विधायक, पक्ष के रूप में माननीया श्रीमती भावना बोहरा जी, प्रतिपक्ष से माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार, प्रिंट मीडिया से दैनिक भास्कर के श्री राकेश पाण्डेय जी, इलेक्ट्रानिक मीडिया संवाददाता सुदर्शन न्यूज के श्री योगेश मिश्रा जी एवं कैमरामैन श्री विश्व प्रकाश पुरेना जी को पुरस्कृत किया गया। मैं सभी पुरस्कृत विभूतियों को अपनी ओर से पुन: बधाई देता हूं । उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर जी का सुगम संगीत गायन हुआ, जिसका आप सभी ने आनंद लिया ।

अब मैं आपको इस मानसून सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों का संक्षेप में सांख्यिकी आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र की कुल 5 बैठकों में लगभग 20 घंटे, 07 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की संख्या 516 एवं अतारांकित प्रश्नों की 480 इस प्रकार कुल 996 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 28 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए । ध्यानाकर्षण की कुल 385 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 153 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 28 सूचनाएं शून्यकाल की सूचना में परिवर्तित की गई । स्थगन की कुल 155 सूचनाएं प्राप्त हुईं । शून्यकाल की 74 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 सूचनाएं ग्राह्य हुईं । इस सत्र में माननीय सदस्यगणों द्वारा 236 याचिकाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 36 याचिकाएं ग्राह्य एवं 128 याचिकाएं विचाराधीन है । इस सत्र में 13 विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरांत पारित हुए । इसके साथ ही अशासकीय संकल्पों की 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 1 सूचना पर सभा में चर्चा हुई ।

इस सत्र में हमारे लिए उपलब्धि का विषय रहा कि देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा और देश के सम्मान से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय **"आपरेशन सिंदूर"** के संदर्भ में भारतीय सेना के अदम्य साहस एवं वीरता तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की रणनीतिक दक्षता के लिए उनके अभिनंदन का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा, जिस पर माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीं ।

प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा के कार्यकरण से राज्य की आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है । इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 5295 लोगों ने एवं 454 छात्र-छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया । मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

इस सत्र के समापन अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखीं ।

मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया । परम्परा अनुसार सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्रों की सम्भावित तिथि घोषित की जाती है, तदनुसार आगामी सत्र जो शीतकालीन सत्र होगा, जिसकी तिथि दिसम्बर, 2025 में सम्भावित है । मैं आपके एवं प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री एवं श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने भी उद्गार व्यक्त किये।

19. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

सायं 7.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा